



# कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक सं: 2159 /12-1

मुनिकीरेती,

दिनांक

10 / 04 / 2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगोली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.316 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार का पत्रांक 08बी०/यूपीसी०पी०/06/31/2020/एफ०सी०/81, दिनांक 28.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या का भारत सरकार द्वारा अवलोकन करने के उपरांत अवगत कराया गया है कि जिस संरेखण पर कार्य किया गया है, वह संरेखण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत तथा अनुमोदित संरेखण से भिन्न है। इसके अतिरिक्त मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवा, मलवा निस्तारण प्लान में चयनित स्थल से इतर मार्ग के संरेखण में ही डम्प किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के द्वारा अपने पत्रांक 3439/12-1 दिनांक 21.03.2024 से प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि पूर्व में प्रयोक्ता अभिकरण को यथाशीघ्र डी०पी०आर० की स्वीकृति के साथ-साथ वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी अपलोड करना पड़ा था, अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी०पी०आर० स्वीकृत नहीं हो पाती। उक्त मोटर मार्ग की के०एम०एल० फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप मौके पर लिये गये कोर्डिनेट्स के अनुसार तैयार किये गये थे, परन्तु जी०पी०एस० में Accuracy सही न होने/तकनीकी दक्षता की कमी के कारण पूर्व में अपलोड के०एम०एल० फाईल तथा वर्तमान में मौके पर बनाये गये मोटर मार्ग के संरेखण में भिन्नता दर्शित हो रही है। प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान किये गये सीमांकन तथा वृक्षों की गणना के संरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान तथा निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मैप के अनुसार किया गया है। इस निर्माण कार्य में प्रत्यावर्तित वनभूमि के क्षेत्रफल एवं वृक्षों की संख्या में कोई भिन्नता नहीं पायी गयी है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत संरेखण के 03 स्थलों (कास सेक्शन 0/0-0/1, 0/24-1/25, 1/25-1/26) पर मार्गों के कटिंग से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु 03 डम्पिंग स्थल प्रस्तावित किये गये थे तथा उन्हीं 03 स्थलों पर वायर केट लगाकर उत्सर्जित मलवे को डम्प किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल (नाप भूमि) में भी मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को डम्प किया गया है।

महोदय अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र भूकम्प एवं आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें सतत भू-धंसाव हो रहा है। सन् 2022-23 एवं सन् 2023-24 मानसून के दौरान उक्त क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा (अतिवृष्टि) हुई, जिस कारण मोटर मार्ग के कई जगहों पर भूस्खलन / भूधंसाव हुआ है तथा आने वाले वर्षाकाल में भूस्खलन / भूधंसाव अधिक होने की संभावना है, जिन जगहों पर भारी भूस्खलन/भूधंसाव हुआ है, उन्हीं जगहों पर मलवा/बोल्डर नीचे की तरफ पहाड़ी ढलान में गिरा पड़ा है, जिसका कि कटिंग के मलवे से किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदन इस अनुरोध के साथ अग्रसारित किया जा रहा है कि विषयगत मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संख्या- 2159 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(धर्म सिंह भाणा)  
वन संरक्षक  
10/4/24

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।  
10/4/24

OR

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444



पत्रांक-3439/12-1, कोटबंगला, दिनांक 21/03/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,  
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.316 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक- 8बी/यू०सी०पी०/०६/३१/२०२०/एफ०सी०/८१, दिनांक- 28.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक- 25.01.2024 को उप प्रभागीय वनाधिकारी भटवाड़ी उप वन प्रभाग एवं वन क्षेत्राधिकारी टकनौर तथा याचक विभाग के सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता के साथ उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसकी आख्या निम्नानुसार है-

क्र. सं.	आपत्ति	आख्या
1	On perusal of the KML file of the proposal, change in alignment is observed. Further, muck is found to be disposed all along the route. State Government is requested to submit a report from DFO to confirm if the road construction has been carried out as per the demarcation of the road made on ground and if the muck disposal has been carried out as per the approved muck disposal scheme. In case of violation a detailed violation report is required to be submitted.	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याचक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि पूर्व में उनको यथाशीघ्र डी.पी.आर. की स्वीकृति के साथ-साथ वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी अपलोड करना पडा था, अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी.पी.आर स्वीकृत नहीं हो पाती। उक्त मोटर मार्ग की के०एम०एल० फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप मौके पर लिये गये कोऑर्डिनेट्स के अनुसार तैयार किये गये थे, परन्तु जी०पी०एस० में Accuracy सही न होने/तकनीकी दक्षता की कमी के कारण पूर्व में अपलोड के०एम०एल० फाईल तथा वर्तमान में मौके पर बनाये गये मोटर मार्ग के संरेखण में भिन्नता दर्शित हो रही है। प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान किये गये सीमांकन तथा वृक्षों की गणना के संरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान तथा निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मैप के अनुसार किया गया है। इस निर्माण कार्य में प्रत्यावर्तित वनभूमि के क्षेत्रफल एवं वृक्षों की संख्या में कोई भिन्नता नहीं पाई गयी, इसके अतिरिक्त स्वीकृत समरेखण के 03 स्थलों (क्रास सेक्शन 0/0-0/1,0/24-0/25, 1/25-1/26) पर मार्गों के कटिंग से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु 03 डम्पिंग स्थल प्रस्तावित किये गये थे तथा उन्ही 03 स्थलों पर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मससवे को डम्प किया

विभाग  
वृत्त नं 6171  
पत्रांक 12-1  
दिनांक 21/03/24  
उत्तराखण्ड

महोदय  
उप वन प्रभाग  
कोटबंगला  
B.F..B.O  
26/3/24

गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल (नाप भूमि) में भी मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को डम्प किया गया है। महोदय अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र भूकम्प एवं आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें सतत भू-धंसाव हो रहा है। सन् 2022-23 एवं सन् 2023-24 मानसून के दौरान उक्त क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा (अतिवृष्टि) हुई, जिस कारण मोटर मार्ग के कई जगहों पर भूस्खलन/भूधंसाव हुआ है तथा आने वाले वर्षाकाल में भूस्खलन/भूधंसाव अधिक होने की सम्भावना है। जिन जगहों पर भारी भूस्खलन/भूधंसाव हुआ है, उन्ही जगहों पर मलवा/बोल्डर नीचे की तरफ पहाड़ी ढलान में गिरा पडा है, जिसका कि कटिंग के मलवे से किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

संलग्नक- उक्त मोटर के फोटोग्राफ्स।

भवदीय,


(डी.पी. इन्सी)

प्रभागीय वनाधिकारी, B  
उत्तरकाशी वन-प्रभाग, उत्तरकाशी।

Gangnani To Bhangeli M/R



Dumping Zone No-01



GPS Map Camera


Barahat Range, Uttarakhand, India  
PGP4+XW, Barahat Range, Uttarakhand  
249194, India  
Lat 30.738154°  
Long 78.5084°  
25/01/24 01:48 PM GMT +05:30

Google

Dumping Zone No-02



Dumping Zone No-03




GPS Map Camera  
Barahat Range, Uttarakhand, India  
PGP4+XW, Barahat Range, Uttarakhand  
249194, India  
Lat 30.738154°  
Long 78.5084°  
25/01/24 01:18 PM GMT +05:30

Dumping Zone No-04

Gangnani To Bhangeli M/R



Slip and sliding Due to Monsoon



Slip and sliding Due to Monsoon